रजिस्ट्री सं. डी.एल. (एन) 04/0007/2003—05 REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-27072024-255790
CG-DL-W-27072024-255790

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 27] नई दिल्ली, जुलाई 14—जुलाई 20, 2024, शनिवार/ आषाढ 23—आषाढ 29, 1946
No. 27] NEW DELHI, JULY 14—JULY 20, 2024, SATURDAY/ ASHADHA 23—ASHADHA 29, 1946

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रुप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

गृह मंत्रालय

(न्यायालयिक विज्ञान सेवा निदेशालय)

नई दिल्ली, 26 जून, 2024

सा.का.नि. 102.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, सहायक केंद्रीय आसूचना अधिकारी श्रेणी - I (दस्तावेज़ फोटोग्राफर) भर्ती नियम 1990 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, गृह मंत्रालय, न्यायालयिक विज्ञान सेवा निदेशालय में सहायक केंद्रीय आसूचना अधिकारी श्रेणी - I (दस्तावेज फोटोग्राफर) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.-** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय, न्यायालयिक विज्ञान सेवा निदेशालय, सहायक केंद्रीय आसूचना अधिकारी श्रेणी - I (दस्तावेज फोटोग्राफर), समूह 'ख' पद,भर्ती नियम, 2024 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होंगे ।

2. **पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.-**उक्त पद की संख्या, उनका वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनूसुची के स्तम्भ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है ।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि.-**उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) तक में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **निरर्हता.-**वह व्यक्ति -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है; या,

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाए कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन में छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति.-**जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण है उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. **व्यावृति.-** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय समय पर जारी किए गए, आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम ।	**पद की संख्या ।**	**वर्गीकरण ।**	**वेतन मैट्रिक्स में स्तर ।**	**चयन पद या अचयन पद ।**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
सहायक केंद्रीय आसूचना अधिकारी श्रेणी - I (दस्तावेज फोटोग्राफर)	6 * (2024) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केंद्रीय सेवा समूह 'ख' राजपत्रित, अननुसचिवीय ।	वेतनमैट्रिक्समेंस्तर 7 (44900-142400/- रु)	चयन।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा ।	**सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं ।**	**सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं ।**	**परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो ।**	**भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।**

(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
30 वर्ष की आयु से अधिक नही (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्षतक शिथिल की जा सकती है।) **टिप्पण** :आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह होगी जो संघ लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापित की जाए।	**शैक्षिक अर्हताएं**: (क)**आवश्यक** (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से भौतिकी या रसायन विज्ञान या न्यायिक विज्ञान में मास्टर डिग्री; (ii) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थान से कम से कम एक वर्ष की अवधि का फोटोग्राफी/ डिजिटल फोटोग्राफी में सर्टिफिकेट/ डिप्लोमा कोर्स। (ख)**अनुभव**: किसी सरकारी संगठन या मान्यता प्राप्त संस्थान से दस्तावेज़ फोटोग्राफी और डार्क रूम कार्य/डिजिटल फोटोग्राफी सहित फोटोग्राफी में एक वर्ष का अनुभव। **टिप्पण 1**.- अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। **टिप्पण 2** .- अनुभवसम्बन्धी अहर्ता कारणों के लिए जो लेखबद्ध किएजाए संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।	नहीं।	दो वर्ष सीधी भर्ती और प्रोन्नतिके लिए। **टिप्पण** .- केंद्रीय सरकार द्वारा यथाविहित परिवीक्षा को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए कम से कम दो सप्ताह की अवधि का अनिवार्य प्रेरण प्रशिक्षण पूरा करना होगा।	(i) पचास प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा, जिसके नहो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है); और (ii) पचास प्रतिशत प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है), जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।

प्रोन्नतिया प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिन प्रोन्नतिया प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा ।	**यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना**	**भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है ।**
(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति: वेतन मैट्रिक्स के स्तर 5 (29200-92300/-रु) में न्यायालयिक विज्ञान सेवा निदेशालय केका डर में ऐसे कार्यकारी फोटोग्राफर जिन्होंने उस श्रेणी में ग्यारह वर्ष की नियमित सेवा की है और विभाग द्वारा यथाविहित सुसंगत क्षेत्र में 2-4 सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। **टिप्पण** : जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के सम्बन्ध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के सम्बन्ध में भी विचार किया जायेगा परन्तु यह तब जब कि उसके द्वारा कि गयी ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा कि अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। **प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है):** केंद्रीय सरकार / राज्य सरकार /संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों / स्वशासी निकाय/ कानूनी संगठन /पब्लिक सेक्टर उपक्रमों / विश्वविद्यालय / मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों के ऐसे अधिकारी: (अ) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पदधारण किए हुए हैं;या ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स स्तर 6, (35400-112400/- रु) या समतुल्य में नियमित आधार पर उस पद में नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पाँच वर्ष की सेवा की हो;या iii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 5, (29200-92300/- रु) में या समतुल्य में नियमित आधार पर उस पद में	समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति (सीधी भर्ती के पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए)) जिसमे निम्नलिखित होंगे:- 1. निदेशक, केंद्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला, न्यायालयिक विज्ञान सेवा निदेशालय -अध्यक्ष ; 2. उप निदेशक, केंद्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला, न्यायालयिक विज्ञान सेवा निदेशालय -सदस्य ; 3. गृह मंत्रालय का एक अधिकारी जो भारत सरकार के अवर सचिव की पंक्ति से नीचे ना हो -सदस्य । समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमे निम्नलिखित होंगे:- 1. निदेशक, केंद्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला, न्यायालयिक विज्ञान सेवा निदेशालय -अध्यक्ष ; 2. उप निदेशक, केंद्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला, न्यायालयिक विज्ञान सेवा निदेशालय - सदस्य ; 3. गृह मंत्रालय का एक अधिकारी जो भारत सरकार के अवर सचिवकी पंक्ति से नीचे ना हो -सदस्य ।	सीधी भर्ती द्वारा पद भरने के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में ग्यारह वर्ष की सेवा की हो;और (ख) जो स्तंभ 7 के अधीन सीधी भर्ती के लिए विहित शैक्षणिक अहर्ताएं और अनुभव रखते हो। टिप्पण 1.- पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किएजाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किये जाने के पात्र नहीं होंगे। **टिप्पण 2.-** प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि है साधरणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।		

[फा. सं. डीएफएसएस/38 (8) 2014]

श्याम सुन्दर लाल, अवर सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(Directorate of Forensic Science Services)

New Delhi, the 26th June, 2024

G.S.R. 102.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Bureau of Police Research and Development Assistant Central Intelligence Officer Grade I (Document Photographer) Recruitment Rules, 1990, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Assistant Central Intelligence Officer Grade- I (Document Photographer) in the Directorate of Forensic Science Services, Ministry of Home Affairs, namely:-

1. **Short title and commencement. -** (1) These rules may be called the Ministry of Home Affairs, Directorate of Forensic Science Services, Assistant Central Intelligence Officer Grade- I (Document Photographer), Group 'B' Post, Recruitment Rules, 2024.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in pay matrix. -** The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc**.- The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification. -** No person, -

   a. who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

   b. who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

   shall be eligible for appointment to the said post:

   Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.** - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category or persons.

6. **Saving.** - Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	**Number of post.**	**Classification.**	**Level in the Pay Matrix.**	**Whether Selection Post or Non-Selection Post.**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**
Assistant Central Intelligence Officer, Grade –I (Document Photographer).	06*(2024) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B' Gazetted, Non-Ministerial.	Level 7 in the pay matrix. (Rs. 44900-142400)	Selection

Age limit for direct recruits.	**Educational and other qualifications required for direct recruits.**	**Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.**	**Period of probation, if any.**	**Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.**
(6)	**(7)**	**(8)**	**(9)**	**(10)**
Not Exceeding thirty years of age. (Relaxable for the Government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). **Note:** The crucial date for determining the age- limit shall be as advertised by the Union Public Service Commission.	**Educational Qualification:** **(a) Essential:** (i) Master of Science in Physics or Chemistry or Forensic Science from a recognized university or institute; (ii) Certificate or diploma course in photography or digital photography of at least one year duration from a recognised University or institute. **(b) Experience:** One year experience in photography including document photography and dark room work or digital photography from a Government organisation or recognised institution. **Note 1:** Qualifications are relaxable at the discretion	No.	Two years for direct recruits and promotees. **Note:** There shall be a mandatory induction training of at least two weeks duration for successful completion of probation as prescribed by the Central Government.	(i) Fifty percent by promotion, failing which deputation (including short term contract); and (ii) Fifty percent by deputation (including short term contract), failing which by direct recruitment.

	of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified **Note 2:** The qualification regarding experience are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.			

In case of recruitment by promotion or by deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made.	**If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.**	**Circumstances in which Union Public Commission to be consulted in making recruitment.**
(11)	**(12)**	**(13)**
Promotion : Photographer in Level-5 in the pay matrix (Rs.29200-92300/-) with eleven years of regular service under the Directorate of Forensic Science Services Cadre in the Grade and having successfully completed two to four weeks training in the relevant field as prescribed by the department. Note : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed their qualifying or eligibility service. **Deputation(including short-term Contract) :** Officers of the Central Government or State Governments or Union territory Administrations or Autonomous body or Statutory organization or Public Sector Undertakings or University or	Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation consisting of): 1. Director, Central Forensic Science Laboratories, Directorate of Forensic Science Services - Chairman; 2. Deputy Director, Central Forensic Science Laboratories, Directorate of Forensic Science Services - Member; 3. An officer from the Ministry of Home affairs, not below the rank of Under Secretary to the Government of India - Member. Group 'B' Departmental Promotion committee (for considering promotion consisting of): 1. Director, Central Forensic Science Laboratories, Directorate of Forensic Science Services	Consultation with Union Public Service Commission is necessary for filing up the post by direct recruitment.

recognised research institutes. – (a)(i) holding analogous post on a regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years service in the grade rendered after appointment to the post on a regular basis in level- 6 in the pay matrix (Rs.35400-112400/-) or equivalent in the parent cadre or department; or (iii) with eleven years service in the grade rendered after appointment to the post on a regular basis in level- 5 in the pay matrix (Rs.29200-92300/-) or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7). **Note 1**: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 2:** The period of deputation (including short-term contract) including the period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. **Note 3:** The maximum age-limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding fifty-six years" as on the closing date of receipt of applications.	- Chairman; 2. Deputy Director, Central Forensic Science Laboratories, Directorate of Forensic Science Services -Member; 3. An officer from the Ministry of Home affairs, not below the rank of Under Secretary to the Government of India -Member.	

[F. No. DFSS/38(8)/2014]

SHYAM SUNDER LAL, Under Secy.

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, 10 जुलाई, 2024

सा.का.नि. 103.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो में लेखा अधिकारी, समूह 'ख', राजपत्रित, अननुसचिवीय के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ. -** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (लेखा अधिकारी) भर्ती नियम, 2024 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारिख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.-** उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में उसका स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं, आदि. -** उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता. - वह व्यक्ति ,-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केन्द्र सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिये अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति**. - जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. **व्यावृत्ति**. - इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछडे वर्गो, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम ।	पदों की संख्या ।	वर्गीकरण ।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर ।	चयन अथवा अचयन पद ।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
लेखा अधिकारी	*01 (2024) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ख', राजपत्रित,अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर - 8 (47600-151100/- रु.)	लागू नहीं होता ।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु - सीमा ।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएँ।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएँ प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो तो।	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता ।
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रतिनियुक्ति द्वारा।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा ।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना ।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श

		किया जाएगा।
(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्ति: केन्द्रीय सरकार के अधिकारी,- (क)(i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में सदृश पद धारण किया हो, या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-6 (35400-112400 रु) में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात दी गई श्रेणी में छह वर्ष की सेवा की हो; और (ख) जिसके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हों; अर्थात :- (i) केन्द्रीय सरकार के किसी भी संगठित लेखा विभाग द्वारा आयोजित अधीनस्थ संपरीक्षा / लेखा सेवा या समतुल्य परीक्षा उतीर्ण की हो; (ii) सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंध संस्थान या समतुल्य प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में रोकड़ तथा लेखा कार्य में प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण की हो और रोकड़, लेखा तथा बजट में न्यूनतम चार वर्ष का अनुभव हो । **टिप्पण 1:** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर वाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 2:** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।	लागू नहीं होता।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है ।

[फा. सं. 213/2/2014-एवीडी-II (पी टी.)]

सत्यम श्रीवास्तव, अवर सचिव

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSION

(Department of Personnel and Training)

New Delhi, the 10th July, 2024

G.S.R. 103.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President, hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Accounts Officer, Group 'B', Gazetted, Non-Ministerial in the Central Bureau of Investigation, namely:-

1. **Short title and commencement** - (1) These rules may be called the Central Bureau of Investigation (Accounts Officer) Recruitment Rules, 2024.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number, Classification and level in pay matrix. -** The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the aforesaid Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit and other qualifications etc. -** The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualifications. -** No person,-

   (a) who has entered into, or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

   (b) who having a spouse living, has entered into, or contracted a marriage with any person,

   shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal

law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt such person from the operation of this rule.

5. Power to relax. - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving. - Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, ex-serviceman and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of Post.	**Number of Post.**	**Classification.**	**Level in pay matrix.**	**Whether selection post or non-selection post.**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**
Accounts Officer.	* 01 (2024) * Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group `B', Gazetted, Non – Ministerial.	Level-8 (47600-151100) in the pay matrix.	Not applicable.

Age limit for direct recruits.	**Educational and other qualifications required for direct recruits.**	**Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.**	**Period of probation, if any.**	**Method of recruitment whether by direct recruitment or by deputation / absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.**
(6)	**(7)**	**(8)**	**(9)**	**(10)**
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable	Not applicable.	Deputation.

In case of recruitment by promotion or deputation / absorption, grades from which promotion or deputation / absorption to be made.	**If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.**	**Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.**
(11)	**(12)**	**(13)**
Deputation Officers of the Central Government;- (a)(i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with six years service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in level 6 (354900-112400) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and b) possessing the following educational qualifications and experience, namely:- i) must pass the Subordinate Audit / Accounts Service or equivalent examination conducted by any one of the Organized	Not applicable.	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

Accounts Departments of the Central Government; ii) successful completion of training in the Cash and Accounts Work in the Institute Secretariat Training and Management or equivalent training course and a minimum of four years experience in cash, accounts and budget. **Note 1:** The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the central government shall ordinarily not exceed three years. **Note 2:** The maximum age limit for appointment by deputation shall be 'not exceeding fifty-six years' as on last date of receipt of applications.		

[F. No. 213/2/2014-AVD-II(Pt.)]

SATYAM SRIVASTAVA, Under Secy.

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, 2 जुलाई, 2024

सा.का.नि. 104.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और सफ़दरजंग अस्पताल, नई दिल्ली (प्रतिरूपकार) समूह 'ग' पद, भर्ती नियम, 2006 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन सफ़दरजंग अस्पताल, नई दिल्ली में प्रतिरूपकार, समूह 'ग' के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-(1)** इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, सफ़दरजंग अस्पताल, नई दिल्ली, प्रतिरूपकार (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2024 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद की संख्या, वर्गीकरण, और वेतन मैट्रिक्स में स्तर-** उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं, आदि-** उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **निरर्हता:** वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति:** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हे लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति:** इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम।	**पदों की संख्या।**	**वर्गीकरण।**	**वेतन मैट्रिक्स में स्तर।**	**चयन पद या अचयन पद।**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**
प्रतिरूपकार	01* (2024) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-5 (29200-92300 रुपये)	लागू नहीं होता।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।	**सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।**	**सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।**
(6)	**(7)**	**(8)**
18 से 27 वर्ष के बीच। (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों या अनुदेशों के अनुसार विभागीय अभ्यर्थियों के लिए साधारण अभ्यर्थियों की दशा में चालीस वर्ष की आयु तक और अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में पैंतालीस वर्ष की आयु तक शिथिल की जा सकती है।) **टिप्पण:** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी और न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चंबा-जिले का पांगी उपखंड और लद्दाख, अंदमान और निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्रों के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।	**आवश्यक:** (क)(i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12 वीं कक्षा उत्तीर्ण; और (ii) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से ललित कला और शिल्प में डिग्री; और (ख) किसी मान्यताप्राप्त संस्थान से ललित कला और शिल्प में डिप्लोमा; और (ग) किसी प्रतिष्ठित संस्थान के मूर्तियों के हथालन में एक वर्ष का अनुभव। **टिप्पण-1:** अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार, शिथिल की जा सकती हैं। **टिप्पण-2** : अनुभव संबंधी अर्हताएं अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार, तब शिथिल की जा सकती हैं, जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध	लागू नहीं होता ।

	होने की सम्भावना नहीं है।	

परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।
(9)	(10)	(11)
दो वर्ष ।	प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है): 1. केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या स्वायत्त या कानूनी संगठनों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों के ऐसे अधिकारी:- (i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पदधारण किया हो; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-4 में (25500-81100 रुपये) या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात दी गई श्रेणी में पाँच वर्ष नियमित सेवा की हो; या (ख) जो स्तम्भ (7) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएँ और अनुभव रखते हों । **टिप्पण 1:** प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है), जिसमें केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किन्हीं अन्य काडर-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 2:** प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख़ को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे: 1.अपर चिकित्सा अधीक्षक, सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली - अध्यक्ष; 2.संबंधित विभागाध्यक्ष, सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली - सदस्य; 3.उपनिदेशक (प्रशासन), चिकित्सा अस्पताल अनुभाग, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय - सदस्य 4.उपनिदेशक (प्रशासन), सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली -सदस्य	लागू नहीं होता ।

[फ़ा. सं. ए-11018/48/2021-एमएच-II]

राम नरेश, अवर सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

New Delhi, the 2nd July, 2024

G.S.R. 104.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Safdarjung Hospital, New Delhi (Modeller) Group 'C' Post, Recruitment Rules, 2006, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Modeller, Group 'C' in the Safdarjang Hospital, New Delhi, under the Ministry of Health and Family Welfare, namely:-

1. **Short title and commencement. –** (1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, Safdarjang Hospital, New Delhi, Modeller (Group 'C' Post) Recruitment Rules, 2024.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in pay-matrix. –** The number of the said post, its classification and level in the pay-matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3**. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc. –**The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification. –** No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt such person from the operation of this rule.

5. **Power to relax. –** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving. –** Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	**Number of post.**	**Classification.**	**Level in pay matrix**	**Whether Selection or non-selection post.**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**
Modeller	01 * (2024) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group -'C', Non-Gazetted, Non- Ministerial.	Level -5 in the pay matrix (Rs. 29200-92300)	Not applicable

Age-limit for Direct Recruits.	**Educational and other qualifications required for direct recruits.**	**Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.**
(6)	**(7)**	**(8)**
Between 18 and 27 years (Relaxble for the departmental candidates upto the age of forty years in the case of general candidates and	Essential : (a) (i) Class 12th Pass from a recognised Board; and (ii) Degree in fine arts and crafts from a	Not applicable

upto forty-five years in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time). **Note:** The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of application from candidates in India and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh and Union territories of Ladakh, Andaman and Nicobar islands and Lakshdweep.	recognised University or institute; or (b) diploma in fine arts and crafts from a recognised institute; and (c) one year experience in handling sculptures at reputed organization. **Note 1:** The Qualifications are relaxable at the discretion of the competent authority in case of candidates otherwise well qualified. **Note 2:** Qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the competent authority in the case of candidates belonging to Scheduled caste or Scheduled Tribes, if at any stage of selection the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates belonging to these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.	

Period of probation, if any.	**Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.**	**In case of recruitment by promotion or deputation / absorption grade from which promotion or deputation / absorption to be made**
(9)	**(10)**	**(11)**
Two Years.	By deputation (including short term contract) failing which by direct recruitment.	Deputation (Including Short Term Contract): (I) Officers of the Central Government or State Government or Union territory administration or autonomous or statutory organisations or public sector undertakings or Universities or recognised research institutes: (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department ; or (ii) with five years' regular service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in level-4 (Rs. 25500-81100) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing educational qualifications and experience as prescribed for direct recruits under column (7). **Note 1:** Period of Deputation (including short-term contract) period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. Note 2: The maximum age-limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding fifty-six years as on the date of receipt of application.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Services Commission to be consulted in making recruitment.
(12)	**(13)**
Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :- 1. Additional Medical Superintendent, Safdarjang Hospital, New Delhi - Chairperson; 2. Head of the concerned Department, Safdarjang Hospital, New Delhi - Member; 3. Deputy Director Administration of the Medical Hospital Section, Directorate General of Health Services -Member; 4. Deputy Director (Administration), Safdarjang Hospital, New Delhi - Member.	Not applicable.

[F. No. A.11018/48/2021-MH-II]

RAM NARESH, Under Secy.

नई दिल्ली, 12 जुलाई, 2024

सा.का.नि. 105.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केन्द्रीय औषधि परीक्षण प्रयोग"ााला, मुम्बई (समूह 'क' पद) भर्ती नियम, 1997 को, जहाँ तक उसका संबंध निदे"ाक के पद से है, उन बातों के सिवाए अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, केन्द्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन, महानिदे"ाक स्वास्थ्य सेवाएं के केन्द्रीय औषधि परीक्षण प्रयोग"ााला, मुम्बई में निदे"ाक एवं उप निदे"ाक के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात :–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**–(1)इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, केन्द्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन, केन्द्रीय औषधि परीक्षण प्रयोग"ााला, मुम्बई निदे"ाक एवं उप निदे"ाक (समूह 'क' पद) भर्ती नियम, 2024 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रका"ान की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **लागू हाना**– ये नियम इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।

3. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.**– उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनसे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (2)से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु–सीमा, अर्हताएं, आदि.**– उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु–सीमा, अर्हताए और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. **निरर्हता.**– वह व्यक्ति–

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए, किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. **शिथिल करने की शक्ति.**– जहाँ केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आव"यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग से पराम"ी करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदे"ा द्वारा, ि"ाथिल कर सकेगी।

7. **व्यावृत्ति.**– इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु–सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी किए गए आदे"ाों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य वि"ोष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	**पदों की संख्या**	**वर्गीकरण**	**वेतन मैट्रिक्स में स्तर**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**
1 निदे"ाक	1* (एक) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर–13 (123100–215900 रूपये)

चयन या अचयन पद	**सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु–सीमा**	**सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित भौक्षिक और अन्य अर्हताएं**
(5)	**(6)**	**(7)**
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की द"ाा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	**भर्ती की पद्धति:** भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रति"ातता
(8)	**(9)**	**(10)**
लागू नहीं होता	**लागू नहीं होता**	**प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित)/प्रोन्नति द्वारा**

प्रोन्नति या प्रातनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	**यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना**	**भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा**
(11)	**(12)**	**(13)**
प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित)/प्रोन्नतिः केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्र"ाासन या स्वायत्त निकाय या संविधिक संगठन या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या मान्यता प्राप्त वि"वविद्यालय या मान्यता प्राप्त संस्थानों के अधिकारी,– (क) (i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर अनुरूप पद धारण किए हुए हैं; या (ii) मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर–12 (78800–209200 रूपये) या समकक्ष पद पर नियमित आधार पर नियुक्ति के	लागू नहीं होता	संघ लोक सेवा आयोग से पराम"ी आव"यक नहीं है।

बाद पांच वर्ष की सेवा प्रदान की गई हों; और (ख) निम्नलिखित शैक्षणिक योग्यताएं एवं अनुभव हों,– **आवश्यक :** किसी मान्यता प्राप्त वि”वविद्यालय या संस्थान से रसायन विज्ञान या जैव रसायन या फार्मेसी या फार्मास्युटिकल रसायन विज्ञान या फार्माकोलॉजी या जीवाणु विज्ञान या चिकित्सा या माइक्रोबायोलॉजी या जैव प्रौद्योगिकी में मास्टर डिग्री **अनुभवः** औषधि परीक्षण और मानकीकरण तथा अनुसंधान में बारह वर्ष का अनुभव **वांछनीय** किसी मान्यता प्राप्त वि”वविद्यालय या संस्थान से रसायन विज्ञान या जैव रसायन या फार्मेसी या फार्मास्युटिकल रसायन विज्ञान या फार्माकोलॉजी या जीवाणु विज्ञान या चिकित्सा या माइक्रोबायोलॉजी या जैव प्रौद्योगिकी में डाक्टरेट की उपाधि। **टिप्पण 1**ः वेतन मैट्रिक्स के स्तर 12 में विभागीय उप निदे”ाक (78800– 209200 रूपये) के ग्रेड में पांच वर्ष की नियमित सेवा और प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति पर विचार करने के लिए विहित शैक्षणिक अर्हता और अनुभव रखने पर बाहरी लोगों के साथ विचार किया जाता है। यदि पद पर नियुक्ति के लिए विभागीय अभ्यर्थी का चयन किया जाता है; इसे प्रोन्नति द्वारा भरा माना जाएगा। **टिप्पण 2**ः प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित) की अवधि जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किन्ही अन्य पूर्व काडर पद पर प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित) की अवधि है, साधारणतया पाँच वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 3**ः अल्पकालिक अनुबंध सहित प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु–सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।		

(1)	(2)	(3)	(4)
2 उप निदे”ाक	1* (एक) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर–12 (78800–209200 रूपये)

(5)	(6)	(7)
ला़गू नहीं होता	ला़गू नहीं होता	ला़गू नहीं होता

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	ला़गू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित)/प्रोन्नति द्वारा

(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित)/प्रोन्नतिः केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्र"ाासन या स्वायत्त निकाय या संविधिक संगठन या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या मान्यता प्राप्त वि"वविद्यालय या मान्यता प्राप्त संस्थानों के अधिकारी,– (क) (i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर अनुरूप पद धारण किए हुए हैं; या (ii) मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर–11 (67700– 208700 रूपये) या समकक्ष पद पर नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद पांच वर्ष की सेवा प्रदान की गई हों; और (ख) निम्नलिखित विहित आव"यक या वांछनीय शैक्षणिक अर्हता और अनुभव रखते हों,– **आवश्यक :** किसी मान्यता प्राप्त वि"वविद्यालय या संस्थान से रसायन विज्ञान या जैव रसायन या फार्मेसी या फार्मास्युटिकल रसायन विज्ञान या फार्माकोलॉजी या जीवाणु विज्ञान या चिकित्सा या माइक्रोबायोलॉजी या जैव प्रौद्योगिकी में मास्टर डिग्री **अनुभवः** औषधि परीक्षण और मानकीकरण तथा अनुसंधान में आठ वर्ष का अनुभव **वांछनीय** किसी मान्यता प्राप्त वि"वविद्यालय या संस्थान से रसायन विज्ञान या जैव रसायन या फार्मेसी या फार्मास्युटिकल रसायन विज्ञान या फार्माकोलॉजी या जीवाणु विज्ञान या चिकित्सा या माइक्रोबायोलॉजी या जैव प्रौद्योगिकी में डाक्टरेट की उपाधि। **टिप्पण 1**: वेतन मैट्रिक्स के स्तर 11 में विभागीय वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (67700– 208700 रूपये) के साथ पांच वर्ष की नियमित सेवा और प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति पर विचार करने के लिए विहित शैक्षणिक अर्हता और अनुभव रखने पर बाहरी लोगों के साथ विचार किया जाता है। यदि पद पर नियुक्ति के लिए विभागीय उम्मीदवार का चयन किया जाता है; इसे प्रोन्नति द्वारा भरा माना जाएगा। **टिप्पण 2**: प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित) की अवधि जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किन्ही अन्य पूर्व केडर पद पर प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित) की अवधि है, साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 3**: अल्पकालिक अनुबंध सहित प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु–सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।	लागू नहीं होता	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्"ा आव"यक नहीं है।

[फ़ा. सं. ए.12018/5/2020-डीआर]

बिकाश आर महतो, अवर सचिव

New Delhi, the 12th July, 2024

G.S.R. 105.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Central Drugs Testing Laboratory, Bombay (Group 'A' posts) recruitment Rules, 1997, in so far as they relate to post of Director, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the

President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Director and Deputy Director, in the Central Drugs Testing Laboratory, Mumbai, Central Drugs Standard Control Organisation, Directorate General of Health Services, Ministry of Health and Family Welfare, namely:-

1. **Short title and commencement. –** (1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, Central Drugs Standard Control Organisation, Central Drugs Testing Laboratory, Mumbai, Director and Deputy Director (Group 'A' Posts) Recruitment Rules, 2024.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application. -** These rules shall apply to the posts as specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Number of posts, classification and level in pay matrix. -** The number of the said posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

4. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.-** The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

5. **Disqualification. -** No person, -

   (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

   (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

   shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such persons and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax. -** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Saving. -** Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex- servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of posts.	**Number of posts.**	**Classification.**	**Level in pay matrix.**	**Whether selection post or non-selection post.**	**Age-limit for direct recruits.**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**
1. Director.	1* (one) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial.	Level – 13 in the pay matrix (Rs. Rs.123100-215900).	Not applicable.	Not applicable.

Educational and other qualifications required for direct recruits.	**Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.**	**Period of probation, if any.**
(7)	**(8)**	**(9)**
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the	**In case of recruitment by promotion or by deputation /absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made.**	**If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.**	**Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.**

vacancies to be filled by various methods.			
(10)	**(11)**	**(12)**	**(13)**
By deputation (including short-term contact)/ promotion.	deputation (including short-term contact)/promotion: Officers of the Central Government or State Governments or Union territory Administrations or autonomous body or statutory organisation or public sector undertakings or recognised University or recognised institutions,- (a) (i) holding analogous posts on a regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years service rendered after appointment to the post on a regular basis in level -12 in the pay matrix (Rs. 78800-209200) or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the following educational qualifications and experience prescribed, as under,- **Essential:** Masters degree in Chemistry or Biochemistry or Pharmacy or Pharmaceutical Chemistry or Pharmacology or Bacteriology or Medicine or Microbiology or Biotechnology from a recognised University or institute. **Experience:** Twelve years experience in drugs testing and standardisation and research. **Desirable:** Doctorate in Chemistry or Biochemistry or Pharmacy or Pharmaceutical Chemistry or Pharmacology or Bacteriology or Medicine or Microbiology or Biotechnology from a recognised University or institute. **Note 1.–** The departmental Deputy Director in level-12 in the pay matrix (Rs. 78800-209200) with five years of regular service in the grade and having the educational qualifications and experience prescribed for considering appointment on deputation basis is considered along with outsiders. If the departmental candidate is selected for appointment to the post; it shall be treated as having been filled by promotion. **Note 2.–** The period of deputation (including short-term contract) including the period of deputation	Not applicable.	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

	(including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed five years. **Note 3.–** The maximum age-limit for appointment by deputation including short-term contract shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. Deputy Director.	1* (one) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial.	Level – 12 in the pay matrix (Rs. Rs. 78800-209200).	Not applicable.	Not applicable.

(7)	(8)	(9)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

(10)	(11)	(12)	(13)
By deputation (including short-term contact)/ promotion.	deputation (including short-term contact)/ promotion: Officers of the Central Government or State Governments or Union territory Administrations or autonomous body or statutory organisation or public sector undertakings or recognised University or recognised institutions,- (a)(i) holding analogous posts on a regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years service rendered after appointment to the post on a regular basis in level - 11 in the pay matrix (Rs. 67700-208700) or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the essential or desirable educational qualification and experience prescribed as under,- **Essential:** Masters degree in Chemistry or Biochemistry or Pharmacy or Pharmaceutical Chemistry or Pharmacology or Bacteriology or Medicine or Microbiology or Biotechnology from a recognised University or institute.	Not applicable.	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

	Experience: Eight years experience in drugs testing and standardisation and research. **Desirable:** Doctorate in Chemistry or Biochemistry or Pharmacy or Pharmaceutical Chemistry or Pharmacology or Bacteriology or Medicine or Microbiology or Biotechnology from a recognised University or institute. **Note 1.-** The departmental Senior Scientific Officer in level-11 in the pay matrix (Rs. 67700-208700) with five years regular service in the grade having the educational qualification and experiences prescribed for considering appointment on deputation basis is considered along with outsiders. If the departmental candidate is selected for appointment to the post; it shall be treated as having been filled by promotion. **Note 2.-** The period of deputation (including short-term contract) including the period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same orsome other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed four years. **Note 3.-** The maximum age-limit for appointment by deputation shall (including short-term contract) be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.		

[F. No. A-12018/05/2020-DR]

BIKASH R. MAHATO, Under Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

GORAKHA NATH YADAVA Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA Date: 2024.07.27 11:28:30 +05'30'